

9.1.20

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
मंही हुये। ना ही बाडी स्वयं उपस्थित
हुआ। पत्रावली में कई बार अपात्र
लगावाई गई। बार बार अपात्र
लगावने के बावजूद कोई भी उपस्थित
नही हुआ। अतः पत्रावली अफवाजिरी
आडम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार टोकल नम्बर
से कम होकर वाद वकील दारिखल
दफ़तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करीली (राज०)

